न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राज०)

पीठासीन अधिकारी :- श्री रवि विजय
आर. ए. एस.

अपील संख्या:- 03/2018

उनवान

रामदेव पुत्र छेदू कौम रेगर निवासी इन्दिरा कॉलोनी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज०)

अपीलान्ट - - -

बनाम

1. ग्राम पंचायत टोडी जरिये सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत टोडी पंचायत समिति शाहपुरा जिला जयपुर (राज०)
2. सुरजमान पुत्र रामदेव उर्फ रामलाल कौम रेगर निवासी टोडी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज०)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज०)
4. उप पंजीयक मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज०)

रेस्पोडेन्ट - - -

प्रथम अपील विरूद्ध निर्णय नामान्तरण संख्या 1067 दिनांक 6/2/2017 ग्राम पंचायत टोडी पंचायत समिति शाहपुरा जिला जयपुर (राज०)

निर्णय दिनांक

1. उपर्युक्त उनवान संस्थित अपील अपीलान्ट की ओर से ग्राम शिवपुरी तहसील शाहपुरा स्थित आराजी ख.नं. 5482/3 रकबा 0.01 है० ख.नं. ~~1064~~ 5483 रकबा 0.36 है० के विरासत के दर्ज किये गये नामान्तरण संख्या 1067 पर अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत टोडी द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 6/2/2017 से कष्ट होकर जरिये अभिभाषक दिनांक 3/7/2018 को न्यायालय मे इस आशय की प्रस्तुत की गई कि अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत टोडी द्वारा आयोजित नामान्तरण तस्दीक करने से पूर्व मृतक रामदेव उर्फ रामलाल के नाम विवादित आराजीयात की राजस्व रिकार्ड में खातेदारी

Office of the Sub Divisional Magistrate Shahpura (Jaipur) Raj.

दर्ज होने की कोई जांच पड़ताल नहीं की गई एवं ना ही मौके पर भौतिक कब्जे काश्त की जांच की और मिलीभगत करके मृतक रामलाल रैगर के नाम के आगे उर्फ रामदेव लगाकर अपीलान्ट की भूमि का फर्जी विरासत का नामान्तकरण स्वीकार कर लिया जो कि कानूनन गलत है। वास्तविक तथ्य यह है कि रामलाल रैगर उर्फ रामदेव का वास्तविक नाम रामलाल रैगर था जो खातेदार रामदेव से पृथक व्यक्ति था तथा मृतक रामलाल रैगर को रामदेव के नाम से कभी जाना पहचाना नहीं जाता था। उक्त आराजी विवादास्पद का खातेदार अर्थात अपीलान्ट रामदेव जीवित है। इसके उपरान्त भी अपीलान्ट रामदेव के जीवित रहते हुए ही उसकी खातेदारी को उक्त मृतक रामलाल रैगर के आगे उर्फ रामदेव लगाकर अपीलाधीन नामान्तकरण के माध्यम से रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 के नाम गलत ढंग से हस्तान्तरण कर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज कर दी। इसलिए उक्त नामान्तकरण अपास्त किये जाने योग्य है।

2. अपीलान्ट को उक्त गलत कार्यवाही की जानकारी दिनांक 4.7.18 को होने से अपील अन्दर मियाद है। अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम व शपथ पत्र निर्धारित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है जिसे सुनने व तय करने का माननीय न्यायालय को अधिकार प्राप्त है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त कर आराजी विवादास्पद की खातेदारी पुनः राजस्व रिकार्ड में वादी/अपीलान्ट के नाम दर्ज की जाने के आदेश फरमावें।

3. अपील प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिश्ता ली गई तथा अपील अपीलान्ट काबिले समाअत होना पाई जाने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट की सुनवाई के लिए जरिये सम्मन तलबी जारी करवाई गई। रेस्पोन्डेन्ट सं० 2 सूरजभान स्वयं उपस्थित आया। रेस्पोन्डेन्ट सं० 1 व 3 बावजूद सम्मन तामिल भी न्यायालय में उपस्थित नहीं आये।

4. उभय पक्षों को सुना गया तथा प्रकरण के तथ्यों एवं प्रस्तुत रिकार्ड व शहादत व आक्षेपित नामान्तकरण का अवलोकन कर मनन किया गया।

5. आराजी विवादग्रस्त के अभिलिखित खातेदार रामदेव पुत्र सेडू अपीलान्ट के न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी अपील में वर्णित तथ्यों की ताईद में प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र, आधारकार्ड व राशनकार्ड आदि से जीवित होना प्रमाणित होता है।

...य उप खण्ड अधिका...

Scanned by CamScanner

अपीलाधीन विरासत का नामान्तरण रामदेव पुत्र टेडू कौम गूजर सा० देह खातेदार की फौतिगी के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट सं० 2 के नाम पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27/1/2017 को दर्ज किया गया, जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा अंकन नहीं होने तथा पंचायत पुनः वारिसान की जांच कर नामान्तरण निस्तारित करने की टिप्पणी अंकित की, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक 6/2/2017 के मृतक खातेदार के वारिसान की पुनः जांच करने का कोई उल्लेख नहीं है। रेस्पोन्डेन्ट सं० 2 के द्वारा भी अभिलिखित खातेदार रामदेव पुत्र टेडू सिंह कौम गूजर सा० देह खातेदार के फौत होने तथा उसके जायज वारिसान होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज रिकार्ड शहादत प्रस्तुत नहीं किये गये। इस प्रकार जीवित खातेदार को मृत बताकर उसकी खातेदारी की भूमि का अन्य मृतक व्यक्ति के वारिसान के नाम आक्षेपित नामान्तरण दर्ज करना तथा इसकी बिना जांच पड़ताल के नामान्तरण स्वीकार किये जाने के आदेश पारित किया जाना प्रतीत होता है जो कि विधि विरुद्ध एवं गैर कानूनी होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

6. उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर ग्राम शिवपुरी तहसील शाहपुरा के नामान्तरण संख्या 1067 पर अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत टोडी पंचायत समिति शाहपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 6/2/2017 अपास्त किया जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 14.9.2018 को खुले इजलास लिखवाकर जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(रवि विजय)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जिला-जयपुर (राज.)